

144

18

न्यायालय - माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश खालियर, प्रियला न्यायालय
रीवा त्भाग रीवा मण्डल



Rs. 20/-

9.15

निगरानी प्रकरण क्रमांक R 2528-फे/1157 एच/

द्वारा कर्तार तनय स्वर्गीय शालिक कर्तार उम्र 70 साल पेशा खेती
निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट, जिला सीधी मण्डल
आवेदक

बनाम,

- 1 - रामकृष्ण साकेत उम्र 50 साल पिता स्व० ततई साकेत
- 2 - राममन्वहोर साकेत उम्र 45 साल
- 3 - सुन० सुक्वरिया साकेत पत्नी स्व० गोविन्द साकेत उम्र 55 साल
- 4 - श्यामला साकेत पिता स्व० गोविन्द साकेत उम्र 25 साल
सभी निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट, जिला सीधी मण्डल
- 5 - कल्लो साकेत पत्नी रामकृष्ण साकेत निवासी ग्राम उमक तहसील
मिहाबल, जिला सीधी मण्डल
- 6 - भारत प्रसाद वर्मा तनय स्वर्गीय अनन्दे कर्तार उम्र 60 साल पेशा खेती
निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट, जिला सीधी मण्डल
शासन मण्डल प्रखण्ड जिला छपड़ा महोदय अनिवेदक गण

निगरानी प्रकरण

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 14/ब-19/93-94 में
तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी मण्डल द्वारा
पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 8.7.1994 के विरुद्ध
निगरानी ।
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्डल भू रण 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :---

यह कि प्रस्तुत की जा रही निगरानी के निराकरण हेतु
निराकृत प्रकरण एवं उससे सम्बन्धित प्रारम्भिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण

उम्र लाल सोधिदा
03-9-15
सुप्रीम कोर्ट में

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 2528 R. 5228 II/15 जिला सीधी

विरुद्ध शमकुमार साकेत

डारिका कट्टा

3

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री. इन्दुमान सिंह अडिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ चम्ब तहसीलदार तहसील, बुरहल के प्रकरण क्रमांक 141/2019/13-14 में पारित आदेश दिनांक 08-07-1994 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-3-2019 को कलेक्टर, सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य